सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00020**

**न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.**
**न्याय निर्णयन आवेदन सं0 09/2018**

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. रणवीर सिंह पुत्र मदनलाल निवासी वार्ड नम्बर 06, बस स्टैण्ड के पास लालगढजाटान
   मै0 गणेश किरयाना स्टोर

**अभियुक्त**

**अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011**

**निर्णय** **दिनांक : 26.02.2018**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2016 को दोपहर 05.50 पी. एम.पर फर्म मै0 मै0 गणेश किरयाना स्टोर वार्ड नम्बर 06, बस स्टैण्ड, लालगढजाटान के पास पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म ल रणवीर सिंह पुत्र मदनलाल मै0 गणेश किरयाना स्टोर, खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) आदि विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की ,दुकान में बिक्री हेतु रखे डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) 20X1 लीटर पैक्ड बोतलों में से 04X1 लीटर डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) पैक्ड बोतलें खरीदी जिसकी कीमत 410/— रू अदा किये एवं रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

FSS Case No. 09/2018

खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) को चारो नमूना प्लास्टिक बोतालों में बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक नमूना बोतलों पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना बोतलों को कोर्क से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–688 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता रणवीर सिंह ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः एलएस / 586 / एक्ट / 2017 / 1561 दिनांक 20.04.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–688 डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) **अमानक स्तर** (Unsafe Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रणवीर सिंह पुत्र मदनलाल मै0 गणेश किरयाना स्टोर, लालगढजाटान द्वारा अमानक स्तर डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.01.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार(Unsafe Food) पाया गया है। उसका बिल मेरे पास मौजूद नहीं है यह तेल मैने श्रीगंगानगर के किसी फर्म से खरीदा था जो मुझे अब याद नहीं है। मै एक छोटा दुकानदार हूँ। अतः मैने इस तेल की बिक्री भी बन्द कर दी है एवं दुकान भी बन्द कर दी एवं खेतरी का काकर्य कर रहा हूँ। अतः निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से प्रकरण में कम से कम जुर्माना करते हुए प्रकरण को समाप्त करें। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) का सैम्पल के–688 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 586 / एक्ट / 2017 / 1561 दिनांक 20.04.2017 द्वारा ( Unsafe Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02– डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) = 196-03 पाया गया जबकि Minimum 168-0 to 177-0 प्रतिशत होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहर्त जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार(Unsafe Food) पाया गया है। उसका बिल मेरे पास मौजूद नहीं है यह तेल मैने श्रीगंगानगर के किसी फर्म से खरीदा था जो मुझे अब याद नहीं है। मै एक छोटा दुकानदार हूँ। अतः मैने इस तेल की बिक्री भी बन्द कर दी है एवं दुकान भी बन्द कर दी एवं खेतरी का काकर्य कर रहा हूँ। अतः निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से प्रकरण में कम से कम जुर्माना करते हुए प्रकरण को समाप्त करें। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " Double Filtered Cooking Oil [ Mustard Brand] bearing Code No. and Sr. No. K-688 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Unsafe Food** Under Section 3[1][zz] [iv][xi] of of Food safety and standards Act-2006 . (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 4,000—00 (अखरे रूपये चार हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में डबल रिफाइण्ड कुकिंग ऑयल (मस्टर्ड ब्राण्ड) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर